राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

प. 13(51) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2022–08237 जयपुर, दिनांकः Signed date

–ःपरिपत्रः–

विषयः– राज्य के समस्त राजसेवको द्वारा राजकाज एसीआर पोर्टल पर ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के संबंध मे।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.03.2022 एवं 22.04.2022 के तहत राज्य के समस्त राजसेवको द्वारा राजकाज एसीआर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि मे टिप्पणी अंकन नही किये जाने की दशा मे Auto forward approval प्रणाली का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त के निरंतरता मे इस विभाग के परिपत्र दिनांक 04.04.2025 के द्वारा राज्य के समस्त राजसेवको के लिये वर्ष 2024–25 का ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की अंतिम तिथि 30.04.2025 निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा जिन राजसेवको ने उक्त कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज एसीआर पोर्टल पर नही भरा है उनके लिये पुनः अवसर देते हुए अंतिम तिथि 30.06.2025 तक के लिये राजकाज एसीआर पोर्टल खोला जा रहा है।

अतः राज्य के समस्त राजसेवक वर्ष 2024–25 का ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज एसीआर पोर्टल पर अंतिम तिथि 30.06.2025 तक भरना सुनिश्चित करे तथा समस्त विभागाध्यक्षो से निवेदन है कि जिन राजसेवको द्वारा वर्ष 2024–25 का ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी तक नही भरा है उन राजसेवको को उक्त प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से भरने हेतु अपने स्तर पर भी निर्देशित करने का श्रम करे।

(कनिष्क कटारिया)
संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Kanishak Kataria
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.05.31 23:06:05 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग—7 कापियों सहित ।
9. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kanishak Kataria
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.05.31 23:06:05 IST
Reason: Approved